संशोधन आदेश

संख्या- 107 /2020 / 668 /चार-2020

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2020

विषय:- जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में प्रदर्शित एवं संग्रहीत अति महत्वपूर्ण कलाकृतियों के रासयनिक उपचार हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 2020 में आशिंक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-95/2020/463/चार-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ का छूट गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-95/2020/463/चार-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 में राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ पढा जाय।

3- शासनादेश संख्या-95/2020/463/चार-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या - 107 /2020 / 668 (1)/चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी कोषागार सुल्तानपुर।
5- प्रभारी संग्रहालयाध्यक्ष, जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर।
6- महानिदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला अलीगंज लखनऊ
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/